

~ 1 ~

# वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, द्विसदस्यीय पीठ—देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,

विपिन चन्द्र.....सदस्य,

द्वितीय अपील सं०: 73/2024 (2015-2016) धारा 49(8)/सपठित धारा 31

आयुक्त वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

बनाम

सर्वश्री एम०बी०एल० इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० 88 ओल्ड कनाट प्लेस, देहरादून

अपीलार्थी की ओर से : श्री भुवन चन्द्र पाण्डे..... राज्य-प्रतिनिधि।

प्रत्यर्थी की ओर से: श्री राजीव वासन.....अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

**विपिन चन्द्र, सदस्य**

प्रस्तुत द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत आयुक्त कर उत्तराखण्ड (जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रथम अपील संख्या-279/2017 (वर्ष 2015-16, धारा-49(8)/सपठित धारा 31) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 29-08-2024, के विरुद्ध इस अधिकरण में दिनांक 21-11-2024 को दायर की गयी है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सर्वश्री एम०बी०एल० इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० 88 ओल्ड कनाट प्लेस, देहरादून (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा) की उक्त वर्ष हेतु दायर अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा-49(8) के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30.11.2016 को अपास्त किया गया है। इस अपील में अर्थदण्ड की विवादित राशि रु० 51,200/- है।

2. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यापारी विभाग में संविदाकार के रूप में पंजीकृत हैं। व्यापारी द्वारा 400 बैग सीमेंट का परिवहन दिनांक 04/02/2016 को काशीपुर से बाजपुर के लिए किया जा रहा था। माल के साथ अल्ट्राटैक सीमेंट लि० आदित्यपुरम राजस्थान का बिल 8918071582 दिनांक 30.01.2016 एवं रेलवे रसीद RR संख्या 262008276 जैसे प्रपत्र संव्यवहार के साथ पाये गये थे। उक्त प्रपत्रों से माल का प्रान्त बाहर से रेलवे के माध्यम से आयात किया जाना प्रमाणित था, परन्तु माल के साथ ट्रिपशीट नहीं पायी गयी थी। सचल दल अधिकारी द्वारा वाहन को जांच हेतु दिनांक 05/02/2016 को रोका गया, किन्तु सम्यक प्रपत्रों के साथ परिवहन न किया जाना पाते हुए धारा 49 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। फर्म की ओर से श्री शेखर द्वारा उचित जमानत जमा करवाते हुए माल अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर दिनांक 06/02/2016 को रु० 51,200/- जमानत के तौर पर जमा करवा कर माल अवमुक्त किया गया। प्रश्नगत वाद के संदर्भ में व्यापारी को धारा 49(8) के

ह०/दि०-28/05/2025

(विपिन चन्द्र)

ह०/दि०-28/05/2025

(मलिक मजहर सुलतान)

द्वि० अपील संख्या- 73/2024

अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के अनुपालन में व्यापारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने योग्य न मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 49(8)/सपठित धारा 31 के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30/11/2016 से रु0 51,200/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

3. उक्त अर्थदण्ड आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत आयात में व्यापारी की करापवंचन की मंशा प्रमाणित न होने पर 49(8)/सपठित धारा 31 के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30/11/2016 को अपास्त किया गया है। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 29-08-2024 के सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

"प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध अपील मैमो, साक्ष्यों तथा तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील अपीलकर्ता के वर्ष 2015-2016 हेतु मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-49(8)/सपठित धारा-31 अन्तर्गत पारित करते हुए उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा करयोग्य माल यथा 400 बैग्स सीमेंट का परिवहन दिनांक 04.02.2016 को काशीपुर से बाजपुर के लिए किया जा रहा था माल के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट लि०, आदित्यपुरम, राजस्थान का बिल 8918071582 दिनांक 30.01.2016 एवं रेलवे रसीद RR संख्या 262008276 पाया गया, जिससे माल प्रान्त बाहर से रेलवे के माध्यम से आयात किया जाना प्रमाणित है, किन्तु माल के साथ ट्रिपशीट नहीं पायी गयी। सचल दल अधिकारी द्वारा वाहन को जांच हेतु दिनांक 05.02.2016 को रोका गया, किन्तु सम्यक प्रपत्रों के साथ परिवहन न किया जाना पाते हुए धारा-49 के अन्तर्गत नोटिस व अभिग्रहण आदेश जारी करते हुए रु0-51,200.00 जमानत जमा करने के उपरान्त माल को अवमुक्त किया गया। उक्त संबंध में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय रूप से अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी है, जिसके विरुद्ध व्यापारी द्वारा धारा-31 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त धारा-31 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पुनः उक्त वाद की सुनवाई करते हुए पारित आदेश दिनांक 30.11.2016 में उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा आयात हेतु फार्म-16 का प्रयोग किया जाना उल्लिखित किया गया है, किन्तु धारा-49 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की डिलीवरी लेने से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई Declaration प्रस्तुत नहीं किया गया न ही माल की डिलीवरी लेने के पश्चात् भी Online Information देते हुए कोई पूर्व सूचना कार्यालय में नहीं दी गयी। माल रेलवे में प्राप्त कर बिना किसी घोषणा के परिवहन किए जाने से स्पष्ट है कि व्यापारी की मंशा करापवंचन की रही है। यदि व्यापारी इस संव्यवहार को पूरा करने में सफल हो जाते तो इस सम्व्यवहार को अपनी अभिलेखों में दर्ज न करते। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माल की कीमत रु0-12,800.00 पर 40 प्रति० की दर से रु0-51,200.00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इस संबंध में उपस्थित फर्म अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त माल का आयात अपीलकर्ता के द्वारा आयात घोषणा पत्र (फार्म-16) संख्या-UKVATM2012/8273598 में घोषणा विभागीय वेबसाईट पर की गयी है तथा उक्त की सूचना कार्यालय रसीद संख्या-165323 दिनांक 09.03.2016 द्वारा की गयी है, इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि वे एक सिविल संविदाकार हैं, जिसके द्वारा लागू सिविल संविदाओं हेतु समाधान योजना अपनाते हुए 06 प्रति० की दर से समाधान राशि का विकल्प अपनाया गया है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों की जांच अपीलकर्ता के वर्ष 2015-16 की मूल कर निर्धारण पत्रावली से करने पर उक्त तथ्य सही पाये गये हैं। अतः चूंकि अपीलकर्ता द्वारा उक्त माल की विधिवत घोषणा विभागीय वेबसाईट पर की गयी है तथा अपीलकर्ता एक सिविल संविदाकार हैं, जिसके द्वारा सिविल संव्यवहारों हेतु लागू अधिनियम की धारा-7(2) के अन्तर्गत समाधान योजना का विकल्प अपनाया गया है तथा उपरोक्त

आयातित माल अपीलकर्ता द्वारा सिविल संविदाओं में प्रयुक्त होने के लिए प्रान्त बाहर से आयातित किया गया है तथा विधिवत इसे अपनी लेखा-पुस्तकों में घोषित किया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त आयातित माल के अन्यथा उपयोग/बिक्री के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। अतः इस संबंध में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-49(8) के अन्तर्गत पारित आदेश विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। अतः दाखिल अपील स्वीकार करते हुए आरोपित अर्थदण्ड आदेश को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड के रूप में जमा धनराशि रु0 -51,200.00 अपीलकर्ता को नियमानुसार समायोजित/वापसी योग्य है।”

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है।

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संदर्भित निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें धारा 49(8), धारा 65(2) तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा ई फार्म 16 जारी करने संबंधी परिपत्र दिनांक 06/06/2015 का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत द्वितीय अपील में विभाग द्वारा इस तर्क पर बल दिया गया है कि धारा 49(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपण हेतु व्यापारी की करापवंचन की मंशा प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दावे के समर्थन में विभाग द्वारा माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा Commissioner, Commercial Tax, Uttarakhand, Dehradun Vs M/s Kama Metal & Alloys Pvt. Ltd., Village Raipur, Bhawanput, Roorkee, (Commercial Tax, Revision No. 07 of 2017 dated 09 April, 2021 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Chairman Sebi Vs Shriram Mutual Fund & Anr dated 23 may 2006, Guljag Industries Vs Commercial Tax Office (2007) 7SSC 269 dated 03 August 2007, State of Gujrat an Anr Vs Saw Pipes Ltd (Known as Jindal Sat Ltd) Civil appeal no. 3481 of 2022. 41 Apex Court/Exclusion from entry11(B) के मामलों में दिये गये निर्णयों एवं कतिपय अन्य निर्णयों को अपने पक्ष में उद्धृत किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में धारा 48/49 में माल के आयात हेतु प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन न किये जाने मात्र से धारा 49(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय होने का तर्क रखा गया है।

5. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से भुवन चन्द्र पाण्डे, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील आधार में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया। विद्वान राज्यप्रतिनिधि द्वारा यह तर्क भी रखा गया कि माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री बिरला टायर्स बनाम कमिश्नर कामर्शियल टैक्स उत्तराखण्ड ( CTR 13/14 Of 2015, Judgement dated 07/08/2024 ) के मामले में दिया गया निर्णय प्रश्नगत मामले में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय जांच चौकियों से माल पृष्ठांकित कर आयात किये जाने से संबंधित है, जबकि प्रश्नगत माल प्रान्त बाहर से आयात किये जाने हेतु ई फार्म 16 हेतु निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित है। यह भी तर्क रखा गया है कि धारा 48(2)(c) का संदर्भ भी प्रश्नगत निर्णय में नहीं लिया गया है, जिसमें धारा 48 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार प्रांत बाहर से माल आयात न किये जाने पर माल का आयात करापवंचन की दृष्टि से किया जाना प्रावधानित है। इस प्रकार विभाग द्वारा प्रश्नगत मामले में व्यापारी की करापवंचन की मंशा साबित किये जाने, आवश्यकता न होने का तर्क प्रस्तुत करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30/11/2016 को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान फर्म अधिवक्ता श्री राजीव वासन उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।
7. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत मामले में निर्णय हेतु अवधारण का बिन्दु (Point of determination) निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है –
- “क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य के बाहर से माल आयात किये जाने हेतु धारा 49 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने मात्र से प्रश्नगत मामले में धारा 49(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है अथवा नहीं ?”
8. उपरोक्तानुसार अवधारित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन इस वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में सर्वप्रथम वैट अधिनियम की सुसंगत धाराएं अवलोकनीय हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

**Section 48: Import of Goods into the state against Declaration:**

(1) Any person or dealer (hereinafter in this section referred to as the importer), who intends to bring, import or otherwise receive, into the state from any place outside the state, any goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section- (2) of section-4 exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the State Government in that behalf, shall obtain the prescribed form of declaration or certificate from his assessing authority:

**Provided** that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate.

**Provided** further that in case of the class of assessee, authorized by the Commissioner Commercial Tax, may themselves download the declaration form of the series and serial no. as prescribed by the Commissioner, Commercial Tax and may use them in accordance with the Act and the rules made there under.

**(2) Where such goods are to be consigned by road-**

(a) The importer shall obtain the prescribed 'declaration'/e-declaration in prescribed manner, and shall cause the following documents to be carried with the goods in movements;

(1) Such declaration, duly filled and signed, in duplicate, the required details of which are entered in the online submitted trip-sheet as provided in Section-48A;

**Provided** that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted trip sheet as provided in section 48A. The copy of such e- declaration need not to be carried with the goods;

(ii) Copy of the trip sheet prepared and submitted in the manner as provided in section 48A containing the required information including the required details of such declaration/e-declaration.

(iii) Invoice, Challan or like other documents related to such goods.

(iv) G.R./Bilty or other like document of title of goods in movement; and also cause to produce these documents before the officer authorized under sub-section (1) or sub-section (2) or section 42 at any place, if so required by such officer.

(b) The importer shall preserve the copies of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause (a) for such period as may be prescribed and produce them before the assessing authority in a manner and within a time as may be prescribed by the commissioner.

(c) If, at any stage, the officer authorized under sub section (1) and sub section (2) of Section 42 is satisfied, after giving the owner of the goods an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without online submitting "Trip-Sheet" in the prescribed form and manner or without carrying copy of such "Trip-Sheet", and that, such goods are;

(i) The goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section 4; and

(ii) Such goods were not meant for personal use or consumption; it shall be deemed that such goods were so transported by the owner of the goods in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act.

\*

\*

\*

(5) The owner or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, carrying any goods referred to in the preceding sub-section shall stop the vehicle when so required by an office authorized under sub-section (1) or sub section (2) of Section 42, at any place, and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-section and shall if so required, give his name address and the names and addresses of the owner or hirer of the vehicle and of the consignor and consignee of the goods.

(6) Where the officer making the search or inspection under this section finds any person or dealer importing or attempting or abetting to import any goods to which this section applies without being covered by proper and genuine documents referred to in the preceding sub-section, it may;

(a) direct the person referred to in above sub section not to part the goods in any manner including re-transporting or re-booking till an enquiry is made, which shall not take more than seven days;

(b) order detention of such goods and if, for reasons to be recorded, is satisfied, after giving the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, an opportunity of being heard, that such goods were being so imported in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, he may order seizure of such goods.

**Provided** that a list of all the goods seized under this sub-section shall be prepared by such officer and be signed by him and a copy there of shall be given to the person from whom goods have been seized.

(7) The officer seizing the goods under sub-section (6) shall take all the measures necessary for their safe custody and forward the list, referred to in the proviso of sub-section (6) along with other documents relating to the seizure, to the assessing officer concerned.

(8) If such assessing officer, after taking into consideration the explanation, if any of the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement as the case may be and after giving an opportunity of being heard is satisfied that the goods were imported or abetted to import in contravention of the provisions of this section in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, it shall pass an order imposing penalty not exceeding forty percent of the value of such goods involved or three times the tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher. The order of such penalty shall be properly served.

\*

\*

\*

**"Section 49: Import of Goods into the state by Rail, River, Air, or Post (Substituted):**

(1) Where any goods other than the goods specified in schedule (I) referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 4 exceeding such quantity, measure or value as may be notified with reference to sub-section (1) of Section 48, are consigned by rail, river, air or post from any place outside the State, the importer shall not-

- (a) obtain or cause to be obtained delivery thereof, unless he furnishes or causes to be furnished to such officer as may be authorized in this behalf by the Commissioner a declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him for endorsement by such officer;
- (b) after taking delivery, carry the goods away or cause the goods to be carried away from the railway station, steamer or boat station, air port or post office. as the case may be, unless a copy of declaration duly endorsed by such officer is carried with the goods.

**Provided** that if a registered dealer, before obtaining the delivery or causing to obtain delivery of the goods has online submitted the information, regarding the goods in a form prescribed by the commissioner on the official website of the department and the to e-generated hard copy of such information is being carried during the movement of goods the dealer shall be deemed to have complied with the requirement, of endorsement of declaration form, made above.

**Provided** further that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted form, as prescribed by the Commissioner on the official website of the department, the copy of such e-declaration need not to be carried with the goods.

- (2) The provisions of sub-section (5), (6) and sub-section (7), (8), (9), (10), (11), (12) and (13) of Section 48 shall mutatis mutandis apply in respect of goods consigned by rail, river or post as they apply to import of goods by road under that Section.

**Section 65 (2)-** Where at a check post or any other place inside the state it is found that any taxable goods for the purpose of business, are being imported without a form of declaration prescribed under section 48, unless otherwise proved after furnishing proper and sufficient evidence, it shall be presumed that-

- (a) Such goods are being imported with a view to evade payment of tax under this Act; and  
(b) Such goods are being imported with a view to evade payment of tax on sales of such goods under this Act:

**Provided** If goods are meant for use in manufacture of any goods, it shall be presumed that goods are being imported with a view to evade payment of tax on sale of goods to be manufactured by using such goods.

9. वाद के संदर्भ में अधिनियम की उपरोक्त वर्णित धाराओं का अवलोकन किया गया। वाद के तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर से उत्तराखण्ड में माल (सीमेंट) आयात किये जाने हेतु धारा 49 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। इस संबंध में व्यापारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि उनके द्वारा संगत वर्ष हेतु अविभाजित सिविल संविदाओं हेतु समाधान योजना का विकल्प लिया गया है एवं प्रश्नगत संव्यवहार से संबंधित माल (सीमेंट) का उक्त सिविल संविदाओं में ही उपयोग किया गया है, जिसे विभाग द्वारा धारा 7(2)/25(7) के अन्तर्गत पारित आदेशों में माना भी गया है, से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत संव्यवहार के आयात में उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचाराधीन अर्थदण्ड आदेश में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है, जिससे उनकी करापवंचन की मंशा परिलक्षित होती हो। इस प्रकार उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत मामले में धारा 49(8) के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपणीय न होने का तर्क विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यापारी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। विभाग की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा रेलवे के माध्यम से माल उत्तराखण्ड में अयात किये जाने हेतु धारा 49 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा परिपत्र दिनांक 06/06/2015 से ई फार्म 16 जारी करने संबंधी परिपत्र का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि व्यापारी द्वारा ट्रिपशीट नहीं बनायी गयी है, तो यह माना जाएगा कि माल का परिवहन कर के भुगतान के अपवंचन हेतु ही किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी अपने पक्ष में उद्धृत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिविल अधिनियम के प्रावधानों, वैधानिक अपराधों के उल्लंघन एवं कर कानूनों संबंधी मामलों में विधिक प्रावधानों के अनुपालन में कदाशयता (mens rea) को प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है।

10. वाद के संदर्भ में उभयपक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष में प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30.11.2016 का अवलोकन किया गया, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार अंकन करते हुए उक्त अर्थदण्ड आदेश पारित किया गया है—

“व्यापारी द्वारा उपरोक्त आयात हेतु फार्म 16 का प्रयोग किया जाना उल्लिखित किया गया है, किन्तु धारा 49 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की डिलीवरी लेने से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई Declaration प्रस्तुत नहीं किया गया न ही माल की डिलीवरी लेने के पश्चात् भी Online Information देते हुए कोई पूर्व सूचना कार्यालय में नहीं दी गयी। माल रेलवे में प्राप्त कर बिना किसी घोषणा के परिवहन किये जाने से स्पष्ट है कि व्यापारी की मंशा करापवंचन की रही है। व्यापारी संविदाकार हैं, तथा संविदा में आयातित माल के प्रयोग पर व्यापारी की करदेयता निर्धारित होनी थी स्पष्ट है कि यदि व्यापारी इस संव्यवहार को पूरा करने में सफल हो जाते तो इस सम्व्यवहार को अपनी अभिलेखों में दर्ज न करते व्यापारी द्वारा उपरोक्त प्रकार से रेल के माध्यम से आयात कर धारा 49 के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना ही व्यापारी की मंशा को स्पष्ट करता है।”

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड आदेश में अंकित उपरोक्त रेखांकित निष्कर्ष से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत मामले में अर्थदण्ड संभावनाओं के आधार पर आरोपित किया गया है। अर्थदण्ड आदेश में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि माल जांच के समय मात्रा एवं मूल्य में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार नहीं पाया गया था तथा उक्त का परिवहन व्यापारी के व्यापार स्थल के लिए नहीं किया जा रहा था। यह भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड आदेश में मान लिया गया है कि उक्त का प्रयोग व्यापारी द्वारा निष्पादित की जा रही सिविल संविदाओं में ही होना था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के उक्त निष्कर्ष कि “संविदा में आयातित माल के प्रयोग पर व्यापारी की करदेयता निर्धारित होनी थी” के परिप्रेक्ष्य में संगत वर्ष हेतु धारा 7(2) के अन्तर्गत पारित आदेशों के अवलोकन हेतु कर निर्धारण पत्रावली का अवलोकन किया गया। संगत वर्ष हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 31/05/2019 को धारा 7(2)/25(7) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल सिविल कार्य हेतु प्राप्त भुगतान रु० 9,00,00,000/- मानते हुए उक्त पर 6 प्रतिशत की दर से रु० 54,00,000/- कर निर्धारित किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल सिविल कार्यों के भुगतान पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि जिसे आदेश में कर लिखा गया है, निर्धारित की गयी है। उक्त आदेश में प्रान्त बाहर से धारा 49 में निहित विहित प्रक्रिया का उल्लंघन कर आयात बिना ई फार्म 16 के किये जा रहे इस संव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी की सीमेंट की कोई अपवंचित बिक्री निर्धारित नहीं की गयी है। जबकि इस संव्यवहार के संबंध में धारा 49(8) के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30.11.2016 के विरुद्ध व्यापारी द्वारा दायर की गयी प्रथम अपील दिनांक 29/08/2024 को स्वीकार की गयी है। उक्त के अतिरिक्त धारा 7(2)/25(7) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित आदेश दिनांक 31/05/2019 के क्रम में पुनः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 7(2)/25(7)/सपटित धारा 31 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक

12/02/2021 से भी सीमेंट की कोई अपवंचित बिक्री निर्धारित नहीं की गयी है। इस आदेश दिनांक 12/02/2021 के विरुद्ध व्यापारी द्वारा अपील किये जाने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त को अपने आदेश 25/06/2022 से पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसका निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 24/06/2023 से धारा 25(7) के अन्तर्गत निस्तारित किया गया है। उक्त आदेश से भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा सीमेंट की कोई अपवंचित बिक्री निर्धारित नहीं की गयी है। पुनः यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त कर निर्धारण/समाधान आदेश प्रश्नगत संव्यवहार के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/08/2024 से पूर्व में ही पारित कर दिये गये थे अर्थात् ऐसी स्थिति इस मामले में नहीं थी कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 49(8) के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश को अपास्त करने के बाद ही उक्त कर निर्धारण/समाधान आदेश पारित किये गये हों। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रश्नगत अर्थदण्ड आदेश में अंकित यह निष्कर्ष कि इस संव्यवहार में व्यापारी की करापवंचन की मंशा थी, स्वतः खण्डित हो जाती है। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त तीनों कर निर्धारण/समाधान आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किये गये हैं, परन्तु उक्त के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 49 का उल्लंघन कर आयात किये जा रहे सीमेंट में व्यापारी की करापवंचन की कोई मंशा नहीं मानी गयी है। दूसरे शब्दों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार को खातों में दर्ज तथा व्यापारी को प्राप्त सिविल संविदा में अंतरित किया जाना माना गया है, तदनुसार उक्त पर व्यापारी की कोई कर देयता निर्धारित नहीं की गयी है। अतः जो भी तर्क विभाग द्वारा व्यापारी की करापवंचन की मंशा के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

11. वाद के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में अर्थदण्ड आदेश व्यापारी की करापवंचन की मंशा होने के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है, परन्तु विभाग द्वारा द्वितीय अपील में वैकल्पिक तर्क तौर पर यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है, कि सिविल अधिनियम के प्रावधानों, वैधानिक अपराधों के उल्लंघन एवं कर कानूनों संबंधी मामलों में विधिक प्रावधानों के अनुपालन में कदाशयता (mens rea) को प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में धारा 48(8) के अन्तर्गत निहित प्रावधान "the goods were imported or abetted to import in contravention of the provisions of this section in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act" अवलोकनीय है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 48(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदेश पारित करने से पूर्व यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया है। धारा 49 (2) से स्पष्ट है कि धारा 48(8) के अन्तर्गत प्रावधानित उक्त विधिक व्यवस्था, धारा 49 के संबंध में भी उसी प्रकार लागू होगी। अतः रेलवे के माध्यम से आयातित माल के संबंध में भी कर निर्धारण, अथवा देय कर अथवा संभाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करके के प्रयास को साबित करना आवश्यक है। इस संबंध में विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा अपने

पक्ष में माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा Commissioner, Commercial Tax, Uttarakhand, Dehradun Vs M/s Kama Metal & Alloys Pvt. Ltd., Village Raipur, Bhawanput, Roorkee, (Commercial Tax, Revision No. 07 of 2017 dated 09 April, 2021 के मामले में उद्धृत निर्णय जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कर कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन में करापवंचन की मंशा साबित किया जाना आवश्यक नहीं माना गया है, के क्रम में माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा ही सर्वश्री बिरला टायर्स बनाम कमिश्नर कामर्शियल टैक्स उत्तराखण्ड (CTR 13/14 Of 2015, Judgement dated 07/08/2024 ) के मामले में दिया गया पश्चात्वर्ती निर्णय भी अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा धारा 48(8) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास को साबित किया जाना आवश्यक मानते हुए निम्न प्रकार अपना मत प्रतिपादित किया गया है—

*“as per Section 48(8) with regard to import of goods into the State against declaration under Section 48 (8), it is the Assessing Officer, who has to give notice, take reply, and give an opportunity of hearing, and if it is satisfied after giving opportunity of hearing that there was an attempt to evade tax, only then penalty is to be imposed. Hence, the very object of Section 48(8) would be defeated if despite given show-cause notice, and the correct reply, the penalty is imposed only on the ground that means rea is not to be examined.”*

यद्यपि उपरोक्त संदर्भित मामले के तथ्य प्रश्नगत मामले के तथ्य से भिन्न है एवं उक्त निर्णय में धारा 48(2)(c) में लाये गये प्रावधान का भी उल्लेख नहीं है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित कर दिया गया है कि धारा 48(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपण हेतु व्यापारी की करापवंचन की मंशा साबित किया जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त धारा 48/49 का उल्लंघन कर बिना ई फार्म 16 के आयात किये जा रहे माल के करापवंचन के उद्देश्य से आयात किये जाने की अवधारणा (Presumption) धारा 65(2) के अन्तर्गत प्रावधानित है, जिसके अनुसार उक्त धारा में विहित प्रक्रिया का पालन न करने पर भी यदि आयातकर्ता द्वारा अन्य प्रमाणों/साक्ष्यों से यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उक्त आयात के पीछे उनकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं है, तो उस स्थिति में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने पर भी कर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार धारा 65(2) के अन्तर्गत प्रावधानित यह अवधारणा (Presumption) खण्डनीय है। धारा 48(2)(c) के अन्तर्गत लाये गये प्रावधान के बाद भी धारा 65(2) एवं धारा 48(8) में कोई संशोधन विधायिका द्वारा नहीं किया गया है, अतः धारा 48(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपण हेतु व्यापारी की करापवंचन की मंशा साबित किया जाना आवश्यक है। यहां पुनः यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त वर्णित कर निर्धारण/समाधान आदेशों में स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले को करापवंचन के उद्देश्य से आयात किया जाना नहीं माना गया है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में चूंकि व्यापारी की करापवंचन की कोई मंशा प्रमाणित नहीं की जा सकी है, अतः धारा 49(8) इस मामले में आकर्षित नहीं होती है।

~ 11 ~

12. उपरोक्त विवेचनानुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में कोई बल नहीं पाया गया, तदनुसार दायर द्वितीय अपील अस्वीकार कर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/08/2024 का समर्थन किया जाता है।

—::आदेश::—

विभाग द्वारा योजित द्वितीय अपील संख्या 73/2024 (वर्ष 2015-16) धारा 49(8)/सपठित धारा 31 अस्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-08-2024 का समर्थन किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0-28/05/2025

(विपिन चन्द्र)  
सदस्य,  
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।  
कैम्प-देहरादून।

ह0/दि0- 28/05/2025

( मलिक मजहर सुलतान )  
अध्यक्ष,  
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:- 28 मई, 2025



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>